पीठासीन अधिकारी- श्री चंद्रोदय कुमार, H.J.S.

M.A.C.P. No.-193 of 2017

द्वारिका प्रसाद पुत्र श्री रामदास, आयु-54 वर्ष, निवासी- ग्राम महेबा, थाना-चिरगांव, तहसील-मोठ, झांसी

---------------याची

बनाम

1. विनय प्रताप सिंह पुत्र श्री मानसिंह, निवासी- सिमरामउ, वानीपारा, कानपुर देहात, हाल निवासी- EWS 3278 आवास विकास संख्या- 3, कल्यानपुर, कानपुर नगर,

............वाहन चालक व स्वामी कार संख्या- UP78BX9166

2. श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमि., E.8 E.P.I.P. राल्को इंण्डस्ट्रियल एरिया, सीतापुर (जयपुर) राजस्थान जरिये प्रबन्धक बीमा कम्पनी

............बीमा कम्पनी कार संख्या- UP78BX9166

-------------विपक्षीगण

याची के अधिवक्ता- **श्री नरेश कुमार गुप्ता**
विपक्षीगण के अधिवक्ता- **श्री दीपक श्रीवास्तव**

राष्ट्रीय लोक अदालत

दिनांकः10.07.2021

आज यह पत्रावली लोक अदालत में प्रस्तुत हुई। याची द्वारिका प्रसाद मय अधिवक्ता उपस्थित हैं। विपक्षी संख्या-दो श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमि. की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री दीपक श्रीवास्तव उपस्थित हैं।

उभय पक्ष की ओर से सन्धि पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि उक्त प्रकरण में याची एवं विपक्षी संख्या-दो बीमा कम्पनी के मध्य प्रतिकर की धनराशि रु.19,00,000 प्रतिकर के लिए राजीनामा हो गया है, जिससे याची संतुष्ट है। अतः उक्त प्रकरण उपरोक्त राजीनामा के आधार पर निस्तारित कर दिया जाये।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि याची ने दिनांक 20.9.16 को कथित सडक दुर्घटना में स्वंय को आई गम्भीर चोटों के लिए रु.25,91,000 प्रतिकर की मांग करते हुये वर्तमान याचिका योजित की है और दौरान विचारण उक्त राजीनामा प्रपत्र प्रस्तुत करते हुये राजीनामा के आधार पर याचिका निस्तारित किये जाने का आग्रह किया है। उक्त राजीनामा प्रपत्र पर याची के हस्ताक्षरों की शिनाख्त उनके विद्वान अधिवक्ता श्री नरेश कुमार गुप्ता के द्वारा तथा विपक्षी संख्या- दो श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमि. की शिनाख्त श्री दीपक श्रीवास्तव द्वारा की गयी है, शेष विपक्षीगण को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त राजीनामा को न्यायालय द्वारा विधिवत रुप से सत्यापित किया गया है।

चूंकि इस प्रकरण में याची एवं विपक्षी संख्या- दो के मध्य राजीनामा हो गया है। अतः उपरोक्त राजीनामा को स्वीकार करते हुये उक्त प्रकरण राजीनामा के आधार पर निस्तारित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

याची एवं विपक्षी संख्या- दो की ओर से प्रस्तुत सन्धि पत्र स्वीकार किया जाता है तथा वर्तमान प्रतिकर याचिका याची **द्वारिका प्रसाद** एवं विपक्षी संख्या- तीन **श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमि.** की ओर से प्रस्तुत उक्त राजीनामा के आधार पर रु.**19,00,000** प्रतिकर हेतु निर्णीत की जाती है। विपक्षी संख्या- दो को आदेशित किया जाता है कि वह इस निर्णय के तीस दिवस के अन्दर प्रतिकर की सम्पूर्ण धनराशि न्यायाधिकरण के केनरा बैंक के खाता संख्या- 92352010008560 (IFSC: CNRB0019235 में RTGS/NEFT के माध्यम से जमा किया जाना सुनिश्चित करे। उपरोक्त प्रतिकर की सम्पूर्ण धनराशि याची RTGS/NEFT के माध्यम से नकद प्राप्त करेगा। उक्त राजीनामा/सन्धि पत्र इस निर्णय का भाग रहेगा।

(चंद्रोदय कुमार)
पीठासीन अधिकारी
मोटर वाहन दुर्घटना प्रतिकर दावा न्यायाधिकरण,
झांसी

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2021.07.10 10:23:37 IST
Reason: PO
Location: MACT JHANSI